राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,जयपुर

पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति से निगम के उदयपुर जोन के अधीन आगारों में वाहन चालक की सर्विस अनुबन्ध पर लेने हेतु बोली आमंत्रण

क्रमांकः–एफ 5/मु0/यांत्रिक/सं.चा.( )/2025/ दिनांक

ई–बोली आमंत्रण सूचना संख्या 08/2025–26

उदयपुर जोन के अधीन आगारों में एक वर्ष की अवधि के लिये सरकार से मान्यता प्राप्त पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति से 160 वाहन चालकों की सर्विस, अनुबन्ध पर लेने हेतु ई–बोली के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में ई–बोली प्रकिया द्वारा ऑन लाईन बोलियॉ आमंत्रित करता है। बोली से संबंधित विस्तृत विवरण वेबसाईट http://rsrtc.rajasthan.gov.in व http://eproc.rajasthan.gov.in एवं स्टेट पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in पर देखें ।

बोली संबंधित विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	बोली संबंधित विवरण	दिनांक एवं समय
1	बोली सूचना जारी होने की तिथि	25–06–2025 18.00 बजे
2.	बोलीदस्तावेज शुल्क (अप्रतिदेय) (वित्तीय सलाहकार R.S.R.T.C JAIPUR को देय)	1000/–रूपये (एक हजार रूपये मात्र)+ जीएसटी 18 प्रतिशत अतिरिक्त
3	बोली प्रतिभूति(वित्तीय सलाहकार R.S.R.T.C JAIPUR को देय)	7,68,000/–रूपये
4.	बोली प्रोसेसिंग शुल्क (अप्रतिदेय)(M.D.RISL JAIPUR को देय)	2000/–रूपये (दो हजार रूपये मात्र)
5.	बोली दस्तावेज Upload करने की अवधि एवं समय	25–06–2025 18.00 बजे
6.	प्री–बिड मीटिंग की दिनांक व समय	02–07–2025, 14.00 बजे
7.	बोली प्रस्तुत/ Upload करने की अंतिम दिनांक एवं समय	18–07–2025, 15.00 बजे
8.	तकनीकी बोली प्रस्ताव खोले जाने की दिनांक एवं समय	18–07–2025, 17.00 बजे
9.	वित्तीय बोली प्रस्ताव खोले जाने की दिनांक एवं समय	ई–प्रीक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से सूचना दी जावेगी।
10.	बिन्दु संख्या 2,3,4 से संबंधित DD/BG प्रस्तुत करने अंतिम तिथि व समय	18–07–2025, 12.00 बजे

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,जयपुर

पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति से निगम के उदयपुर जोन के अधीन आगारों में वाहन चालक की सर्विस अनुबन्ध पर लेने हेतु बोली आमंत्रण

क्रमांकः–एफ 5/मु0/यांत्रिक/सं.चा.( )/2025/ दिनांक

ई–बोली आमंत्रण सूचना संख्या 08/2025–26

उदयपुर जोन के अधीन आगारों में एक वर्ष की अवधि के लिये सरकार से मान्यता प्राप्त पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति से 160 वाहन चालकों की सर्विस, अनुबन्ध पर लेने हेतु ई–बोली के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में ई–बोली प्रकिया द्वारा ऑन लाईन बोलियॉ आमंत्रित करता है। बोली से संबंधित विस्तृत विवरण वेबसाईट http://rsrtc.rajasthan.gov.inव http://eproc.rajasthan.gov.in एवं स्टेट पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in पर देखें ।

बोली संबंधित विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	बोली संबंधित विवरण	दिनांक एवं समय
1	बोली सूचना जारी होने की तिथि	24–06–2025 18.00 बजे
2.	बोलीदस्तावेज शुल्क (अप्रतिदेय) (वित्तीय सलाहकार R.S.R.T.C JAIPUR को देय)	1000/–रूपये (एक हजार रूपये मात्र)+ जीएसटी 18 प्रतिशत अतिरिक्त
3	बोली प्रतिभूति(वित्तीय सलाहकार R.S.R.T.C JAIPUR को देय)	7,68,000/–रूपये
4.	बोली प्रोसेसिंग शुल्क (अप्रतिदेय)(M.D.RISL JAIPUR को देय)	2000/–रूपये (दो हजार रूपये मात्र)
5.	बोली दस्तावेज Upload करने की अवधि एवं समय	24–06–2025 18.00 बजे
6.	प्री–बिड मीटिंग की दिनांक व समय	02–07–2025, 14.00 बजे
7.	बोली प्रस्तुत/ Upload करने की अंतिम दिनांक एवं समय	18–07–2025, 15.00 बजे
8.	तकनीकी बोली प्रस्ताव खोले जाने की दिनांक एवं समय	18–07–2025, 17.00 बजे
9.	वित्तीय बोली प्रस्ताव खोले जाने की दिनांक एवं समय	ई–प्रीक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से सूचना दी जावेगी।
10.	बिन्दु संख्या 2,3,4 से संबंधित DD/BG प्रस्तुत करने अंतिम तिथि व समय	18–07–2025, 12.00 बजे

नोटः–

1. सर्विस अनुबन्ध पर लिये जाने वाले अनुमानित चालकों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित है।
2. बोली की समस्त प्रकिया ऑनलाईन होगी।
3. बोली खोलने की तिथिं को किसी कारणवश कोई अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय बोलियां खोली जाएंगी।
4. पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति चालकों की सेवा पूर्णतः सर्विस अनुबन्ध पर प्रदान करने हेतु ई–बोली के माध्यम से बोली प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है। अनुबन्ध पर चालकों की सेवाएं निगम के किसी भी आगार में ली जा सकती हैं। आगारों की सूची संलग्न है।
5. बोली दस्तावेज डाउनलोड/आवेदन करते समय बोली दस्तावेज शुल्क 1000/– रूपये+ जीएसटी 18 प्रतिशत अतिरिक्त देय होगी बोली प्रोसेसिंग शुल्क 2000/–रूपये एवं बोली प्रतिभूति घोषणा/बोली प्रतिभूति राशि 7,68,000/–रूपयें (अक्षरे सात लाख अड़सठ हजार रूपये मात्र) की **DD/BG** दिनांक एवं बैंक का नाम व ब्रांच का विवरण अंकित करें।
6. बोली लगाने वाले द्वारा बोली शुल्क/प्रोसेसिंग शुल्क/बोली प्रतिभूति राशि का डिमान्ड ड्राफ्ट, इस कार्यालय में दिनांकः– 18.07.2025 को 12:00 बजे तक जमा कराना आवश्यक है।
7. कोई भी बोलीदाता ऑनलाईन जमा कराने में किसी कारणवश लेट होता है तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
8. बोलियों में भाग लेने वाले बोली लगाने वालों को इन्टरनेट साइट http://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाईन बोली में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत् प्राप्त करना होगा जो ईलेक्ट्रोनिक बोली में साईन करने हेतु काम आयेगा। बोली दाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी.सी.ए.(C.C.A.) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन बोली लगाने वाले के पास वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, उनको नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
9. बोली लगाने वाले द्वारा बोली शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि, वित्तीय सलाहकार, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर (F.A.R.S.R.T.C.JAIPUR) को डी.डी. (बोली प्रतिभूति राशि के लिये बैंक गारंटी (वैधता अवधि 90 दिवस) भी स्वीकार्य है) द्वारा जमा करानी होगी तथा बोली प्रोसेसिंग शुल्क एम.डी., आर.आई.एस.एल. के नाम डी.डी. देय होगी। यदि बोली लगाने वाले द्वारा दिनांक 18.07.2025 को 12:00 बजे तक उक्त DD/BG प्रस्तुत नहीं की जाती है (Scanned copy to be upload with bid document) तो प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होगा। उक्त की Scanned copy बोली दस्तावेज के साथ अपलोड की जानी होगी।
10. बोली लगाने वाले को बोली दस्तावेज प्रत्येक पृष्ठ पर साईन के साथ e- procurement portal पर Online प्रस्तुत करना होगा। जो प्रस्ताव साईन के साथ नहीं होंगे उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जाऐंगे। साथ ही तकनीकी बोली प्रस्ताव की हार्ड कॉपी भी संलग्न करनी होगी।
11. इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व बोली लगाने वाला यह सुनिश्चित कर ले कि बोली प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी बोली प्रपत्रों के साथ अटैच कर दी गयी है।
12. ऑनलाईन बोलियां निर्धारित दिनांक एंव समय पर खोली जावेंगी।.
13. बोली दस्तावेजों में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाईन दर्ज करावें।
14. बोली (बिड) की वैधता 90 दिवस होगी।

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

उदयपुर जोन के आगार

क्र.स.	आगार
1.	उदयपुर
2.	बांसवाड़ा
3.	चित्तोडगढ
4.	डूंगरपुर
5.	राजसमन्द
6.	प्रतापगढ

अनुबन्धित चालकों की संख्या में संबंधित जोन के आगारों में आवश्यकतानुसार कमी/वृद्धि की जा सकती है।

उपरोक्त कार्य हेतु बोली प्रस्तुत करने की निम्न आवश्यक शर्ते है :–

1. सर्विस अनुबन्ध पर लिये जाने वाले चालकों की संख्या निगम की आवश्यकता के अनुसार कम अथवा अधिक हो सकती है।
2. बोली हेतु विधिवत पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति पात्र होगी।
   - A. बोलीदाता फर्म को एक वर्ष में किसी एक माह में सरकारी/सहकारी/अर्द्धसरकारी/निगम/बोर्ड/ संस्थाओ को 100 मानव संसाधन (मैन पावर) उपलब्ध कराने के अनुभव होना आवश्यक है। अनुभव प्रमाण पत्र प्रति एवं उक्त के प्रमाण स्वरूप EPFO मे अंशदान जमा करवाये जाने की ECR की प्रति सलंग्न करनी होगी।
   - B. तीन वर्ष की आयकर रिटर्न की प्रतिलिपि, बोली प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी।
   - C. संस्था का गत तीन वर्ष का वार्षिक टर्नऑवर औसतन 1 करोड रू. होना चाहिये। इसके प्रमाण स्वरूप बैलेंसशीट तथा टर्न ओवर दर्शाने वाला प्रमाण पत्र (सी ए द्वारा प्रमाणित) सलंन करना अनिवार्य है।
   - D. श्रम विभाग राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है। (प्रमाण पत्र सलंग्न करे)
   - E. ईएसआई/पी.एफ./जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।(प्रमाण पत्र सलंग्न करे)

यदि बोली लगाने वाला/कम्पनी/संस्था द्वारा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किये जाते हैं अथवा प्रदत्त सूचना असत्य और अपूर्ण पाई जाती है तो, इसे अयोग्यता मानते हुए उनके प्रस्ताव को निरस्त/अस्वीकार करने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा ।

3. बोली के साथ बोली प्रतिभूति राशि 7,68,000/–रूपये (अक्षरे सात लाख अड़सठ हजार मात्र) की डी.डी./बैंक गारंटी के रूप में वित्तीय सलाहकार, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के नाम से संलग्न करनी होगी। चैक एंव नकद राशि किसी भी अवस्था में मान्य नहीं होगी । यह राशि जमा न होने की दशा में बोली स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। यह राशि प्राप्त बोली पर स्वीकृति हेतु निर्णय होने तक निगम कोष में जमा रहेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा अस्वीकृत बोलियों की राशि, बोली पर अन्तिम निर्णय होने के उपरान्त ही बिना ब्याज के लौटायी जावेगी। बैंक गारन्टी की वैधता अवधि चार माह होगी।

4. निगम द्वारा जो बिड स्वीकार की जाएंगी, उन्हे इस आशय की सूचना प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर–भीतर कार्य संपादन प्रतिभूति राशि के रूप में 15,000/–रू.(अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये मात्र) प्रति चालक डी.डी./बैंक गांरटी/एफडीआर के रूप में निगम के नाम से बनाकर संबन्धित आगार कार्यालय में जमा करवाना होगा एवं निगम द्वारा प्रस्तुत अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करके संबन्धित आगार से अनुबन्ध करना होगा। बैंक गांरटी/एफडीआर की वैधता अवधि 15 माह होगी। उक्त राशि निगम कोष में बिना ब्याज जमा रहेगी, जो अनुबन्ध की शर्तो की समुचित पालना के पश्चात् एंव अनुबन्ध अवधि समाप्त होने पर बिना ब्याज के लौटायी जावेगी। यदि बोली लगाने वाला, प्रस्ताव स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के 15 दिवस में निर्धारित कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है एवं निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध नहीं करता है तो उसके द्वारा जमा कराई गई बोली प्रतिभूति राशि निगम द्वारा जब्त कर ली जावेगी।

5. प्रति चालक की सेवा हेतु निर्धारित मासिक पारिश्रमिक राशि 15000/–रू प्रतिमाह देय होगी जिस पर पी.एफ व ईएसआई का भुगतान नियमानुसार देय होगा एवं सर्विस चार्ज की दर बोली के अनुसार देय होगी तथा जीएसटी का भुगतान नियमानुसार देय होगा।
   A. तकनीकी बोली का मूल्यांकन उपापन समिति द्वारा किया जायेगा तकनीकी बोली में सफल बोलीदाताओं की वित्तीय बोली (BOQ) खोली जायेगी। **BOQ में सर्विस चार्ज की दर न्यूनतम 1.5 प्रतिशत से कम नही होगी।**
   B. वित्तीय बोली में सफल बोली का मूल्यांकन प्रति चालक सर्विस चार्ज के आधार पर किया जायेगा।
   C. **उपर्युक्त आधार पर सफल बोलीदाता (L1) का निर्णय नही हो पाने की स्थिति में गत तीन वर्षो में अधिक औसत टर्नओवर वाले बिडर को सफल (L1) माना जाएगा।**

6. पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति इस सर्विस अनुबन्ध को किसी अन्य दूसरे पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति को या व्यक्ति को न तो किराये पर ही देगा और न ही सबलेट/हस्तान्तरण करेगा।
7. यह अनुबन्ध एक वर्ष तक की अवधि के लिये होगा। एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् दोनों पक्षों के मध्य किसी प्रकार का विवाद/न्यायिक एवं अन्य बकाया नहीं होने की स्थिति में व संस्था की सेवाएं संतोषजनक होने पर दोनों पक्षों की सहमति से अनुबन्ध को आरटीपीपी नियमानुसार बढाया जा सकेगा।
8. अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करने पर पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति का सर्विस अनुबन्ध तुरन्त प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार निगम को होगा, जिसके लिए नोटिस की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
9. जिस सफल बोली लगाने वाले के प्रस्ताव को निगम द्वारा स्वीकार किया जावेगा, उसे आगार स्तर पर स्वंय के खर्चे पर 15 दिवस के भीतर एक सर्विस अनुबन्ध पत्र नियमानुसार निष्पादित करना होगा जिसका प्रारूप संलग्न है।
10. बोली प्रस्ताव ई–बोली के माध्यम से ऑनलाईन ही प्रस्तुत करने होंगे।
11. वित्तीय बोली प्रस्ताव ऑनलाईन BOQ में ही प्रस्तुत होगा
12. बोली लगाने वाले द्वारा दिये गये कोई भी सशर्त प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
13. किसी भी बोली को स्वीकृत करना निगम के लिए बाध्यकारी नहीं है तथा किसी भी बोली को बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार निगम को होगा।
14. यदि किसी संस्थान/व्यक्ति/फर्म के विरूद्ध निगम की राशि बकाया/विचाराधीन है, तो उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार निगम को होगा।
15. मुख्य प्रबन्धक द्वारा चालकों की मांग किये जाने के तीन दिवस में द्वितीय पक्ष को आवश्यकतानुसार चालक उपलब्ध कराने होंगे। चालक उपलब्ध नही कराने की स्थिति में द्वितीय पक्ष से 1000/–(अक्षरे एक हजार रूपये मात्र) प्रति चालक प्रति दिवस द्वितीय पक्ष से शास्ति वसूल की जावेगी।
16. पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिको की सहकारी समिति को प्रत्येक माह का देयक अगले माह की 10 तारीख को संबंधित आगार में प्रस्तुत करना होगा। फर्म को आगार द्वारा भुगतान किये जाने के 5 कार्य दिवस में चालकों को भुगतान करना होगा। फर्म द्वारा उक्त निर्धारित समय में चालकों को भुगतान न करने की स्थिति में 1000/–रू(अक्षरे एक हजार रूपये मात्र) प्रति चालक प्रति दिन की दर से शास्ति वसूल की जावेगी।
17. पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति द्वारा निगम को सर्विस अनुबन्ध पर उपलब्ध कराये जाने वाले चालकों को आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। उसके पास भारी वाहन संचालन करने का पांच वर्ष पुराना लाईसेन्स एवं बैज होना अनिवार्य है। साथ ही भारी वाहन चलाने का पांच वर्ष का अनुभव भी होना आवश्यक है।

18. सफल बोलीदाता (अनुबन्धित फर्म) द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले चालकों की सेवा हेतु प्रति चालक प्रतिमाह कार्य हेतु निगम द्वारा निर्धारित दर रू0 15,000/- पारिश्रमिक एव पीएफ, ईएसआई (जहॉ ईएसआई लागू है), सर्विस चार्ज एवं जीएसटी की राशि का चालक भुगतान सफल बोलीदाता (अनुबन्धित फर्म) को किया जायेगा। सफल बोलीदाता (अनुबन्धित फर्म) द्वारा सम्बन्धित चालक के बैंक खाते के माध्यम से पारिश्रमिक राशि हस्तानांतरित करते हुये पारिश्रमिक चालक के बैंक खाते में ट्रांसफर का प्रमाण आगामी माह के बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा।

19. द्वितीय पक्ष के द्वारा निगम को उपलब्ध कराये गये चालकों के लिये ईपीएफ/ई0एस0आई0 स्कीम के अनुसार कर्मचारी अंशदान एवं सेवा प्राप्तकर्ता/नियोक्ता का अंशदान द्वितीय पक्ष के द्वारा ही जमा कराकर प्रमाण की प्रति निगम के कार्यालय में प्रस्तुत की जावेगी। (आगामी माह का भुगतान चालान की प्रति प्रस्तुत करने पर ही देय होगा) नियोजित चालकों के संबंध में ईपीएफ व ई.एस.आई. रिटर्न दाखिल करने का पूर्ण दायित्व सेवाप्रदाता/अनुबंधित फर्म का ही होगा। इन चालकों के ईपीएफ/ई.एस.आई. संबंधि समस्त हित/लाभ कें संबंध में भी उत्तरदायित्व सेवाप्रदाता/अनुबंधित फर्म का ही होगा।

20. पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति द्वारा आयकर कटौती से मुक्त होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा संस्था के देयक (बिल) से नियमानुसार भुगतान में स्त्रोत पर आयकर एवं अन्य वैधानिक कटौती निगम द्वारा की जावेगी।

21. पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति के द्वारा निगम को उपलब्ध कराये जाने वाले चालकों की प्रमाणित फोटो निगम के संबंधित आगार कार्यालय को अन्य प्रमाण पत्र उपलब्ध कराई जायेगी ।

22. पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति के द्वारा निगम को उपलब्ध कराये गये चालकों से उस आगार के किसी भी मार्ग पर वाहन संचालन कराया जा सकता है।

23. पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति के द्वारा निगम को उपलब्ध कराये गये चालकों के द्वारा बस का संचालन, निगम के अधिकारियों द्वारा दिये गए निर्देशों के अनुसार करना होगा।

24. पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति के द्वारा निगम को उपलब्ध कराये गये चालकों के पास भारी वाहन संचालन का वैध लाईसेंस है, इसका प्रमाणीकरण सहित लाईसेंस की प्रति पजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति, निगम को उपलब्ध करायेगा। पजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति एवं मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालक के वैध लाईसेंस होनें तथा नवीनीकरण कराने के लिए जिम्मेदार होगा।

25. पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति के द्वारा निगम को उपलब्ध कराये गये चालक ना तो कोई यूनियन बना सकते हैं तथा ना ही किसी यूनियन में भाग ले सकते हैं।

26. पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति के द्वारा निगम को उपलब्ध कराये जाने वाले चालकों की संख्या में कमी/वृद्धि करने का अधिकार निगम को होगा, अर्थात् आवश्यकता नहीं होने पर चालक को पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति को वापस भेजने एवं आवश्यकता होने परं अतिरिक्त चालक की मांग करने का अधिकार निगम को होगा।

27. सरकार द्वारा पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति का अनुज्ञा पत्र रद्द किया जाता है या मान्यता पर रोक लगाई जाती है, तो संबंधित संस्था तुंरन्त निगम को सूचित करेगी तथा सूचना मिलने पर तुरन्त अनुबन्ध समाप्त कर दिया जावेगा।

28. पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले चालक पूर्व में निगम सेवा से सेवापृथक अथवा किसी अन्य एजेन्सी के अनुबन्ध बतौर दुर्घटना या अन्य कारणों से निष्कासित किया हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा पाये जाने की स्थिति में तुरन्त अनुबन्ध समाप्त कर दिया जावेगा तथा कार्य सम्पादन प्रतिभूति को जब्त कर लिया जावेगा।

29. देय ऐजेंसी सर्विस चार्ज का भुगतान निगम द्वारा पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति को किया जायेगा। इस हेतु पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति द्वारा भुगतान का प्रमाणिक देयक प्रस्तुत किया जायेगा।

30. पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति अनुबन्ध समाप्त करना चाहे तो उसे एक माह पूर्व निगम को नोटिस देना होगा। नोटिस नहीं दिये जाने की स्थिति में कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।

31. पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति से किये जाने वाले सर्विस अनुबंध को निगम द्वारा 7 दिवस का नोटिस देकर कभी भी समाप्त किया जा सकेगा।

32. पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति की ओर से दिया गया कोई सशर्त प्रस्ताव स्वीकार नहीं होगा।

33. औधोगिक विवाद अधि. 1974 के प्रावधानों के अनुसार नियोजित चालको को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छटनी मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तदायित्व सेवाप्रदाता/अनुबंधित फर्म का ही होगा।

34. यह कि अनुबंध कियान्वयन शर्तो एवं विवेचना के सम्बन्ध में दोनो पक्षों के बीच किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो मामलें के निपटारे के लिये निम्नानुसार प्रावधान रहेगा:-

DISPUTE RESOLUTION & ARBITRATION:

- **Dispute Resolution:** Any dispute or difference whatsoever arising between the parties out of or relating to the construction, meaning, scope, operation or effect of this contract or the validity or the breach thereof, shall, in the first instance, be resolved by referring such dispute or difference to the Standing Committee constituted vide Rajasthan State Road Transport Corporation's office order No. HO/Law/Gen/17/781 dated 03.10.2017. The Standing Committee so constituted shall ensure full compliance with the office order referred to above.
- Any dispute/objection regarding the conditions mentioned in all the teners/contracts/agreements issued by the corporation shall be filed in the competent court located in jaipur.

35 निविदा की शर्ते भी अनुबन्ध का भाग मानी जायेंगी।

36 RTPP Act. 2012 & Rules 2013 के प्रावधान यथावत् लागू होंगे।

37 किसी भी विवाद के लिए न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।

हस्ताक्षर बोली लगाने वाला

मय मोहर

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
(g) disclose conflict of interest, if any; and
(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process *must not have a Conflict of Interest.*

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. 'A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; ,or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Annexure B DECLARATION BY BIDDERS REGARDING QUALIFICATIONS

In relation to our Bid submitted to .... [enter designation and address of the procuring entity] for procurement of .... [insert name of the Goods] in response to their Notice Inviting Bids No.............................. Dated .... we hereby declare that:

1. Declaration by the Bidder under Section 7 and 11 of the RTTP Act
   i. We are eligible and possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bid Document issued by the Procuring Entity.
   ii. We have fulfilled our obligation to pay such of the taxes payable to the Central Government or the State Government or any local authority, as specified in the Bid Document.
   iii. We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have our affairs administered by a court or a judicial officer, not have our business activities suspended and are not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons.
   iv. We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings.
   v. We do not have a conflict of interest as specified in the RTPP Act & Rules and this Bid Document, which materially affects fair competition.
   vi. We have complied and shall continue to comply with the Code of Integrity as specified in the RTPP Act & Rules, and this Bid Document, till completion of all our obligations under the Contract.
2. Declaration by Bidder (For not being blacklisted)
   We, the undersigned declare that our firm have not been blacklisted by any of STU's/Govt. of India / State Government/ Public sector during last three financial year 2021-22,2022-23,2023-24 and current financial year undertaking for breach of contract.
3. Declaration by Bidder (For not being bankruptcy and insolvent)

We, the undersigned declare that our firm have not been Bankruptcy /insolvent by any of Govt. bank / private bank.

If above declarations are found to be incorrect then without prejudice to any other action that may be taken, my/ our Bid Security may be forfeited in full and the Bid if any to the extent accepted may be cancelled.

Signed: ________________ Name: ________________________________

In the capacity of: ____

Duly authorized to sign the Bid for and on behalf of: ________________

Date: ________ Tel: ________ Fax: ____________ e-mail: __________

Date: Signature of Bidder:

Place: Name:

Designation: Address:

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is MD, RSRTC

The designation and address of the Second Appellate Authority is Chairman, RSRTC. In case, the position of Chairman, RSRTC and MD, RSRTC is held by same person then Second Appellate Authority will be BOARD OF DIRECTORS, RSRTC.

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may tile a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following

matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisionslimiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellationof a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality .

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and document, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

  (i) hear all the parties to appeal present before him; and

  (ii) peruse or inspect document, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

ANNEXURE- D

ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT

01. **Correction of arithmetical errors :**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis :

(i) if there is discrepancy between the unit price and the total price that is obtained b y multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.

(ii) if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals; the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

(iii) if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bids does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

02. **Procuring Entity's Right to Vary Quantities :**

(i) At the time of award of contract, the quantity of goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. it shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply, if the suppliers fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Suppliers.

Signature of tenderer with seal

FORM No. 1

(See rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of........................

Before the... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:

   (ii). Official address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number ofaffidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:

....

....

....(Supported by an affidavit)

7. Prayer:

....

....

....

Place

Date

Appellant's Signature

Annexure-E

Black Listed/Debar Certificate

(To be submitted on Rs. 100/- Non-judicial stamp paper)

Executive Director (Admin)
RSRTC Head Office,
ParivahanMarg, C-Scheme
Jaipur- 302001

Sir,

Having examined the RFP Document the receipt of which is hereby duly acknowledged, I/we, the undersigned, offer to "XXXX." under the project 'XXX' in RSRTC as required and outlined in the RFP.

- I/We undertake that as on the date of submission of this bid, we have not been declared insolvent or have not been subjected to any bankruptcy or insolvency proceedings under any law in India
- I/We undertake that as on the date of submission of bid, we have not been disqualified by RSRTC/any Government/Public Sector Undertaking/Autonomous Body for corrupt or fraudulent acts or non-performance.
- I/ We agree to reject out rightly my bid if anything found bogus, misleading or incorrect information.
- We agree to all the terms & conditions mentioned in the RFP document.

Dated this ________________ day of ___________

Signature (in the capacity of)
Duly authorized to sign Bid for and on behalf of

Seal of the Company

अनुबन्ध पत्र (प्रारूप)

यह अनुबन्ध पत्र आज दिनांक .... को मुख्य प्रबंधक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम .... आगार, जिसे बाद में प्रथम पक्ष कहा जाएगा, और पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति ...., जिसे बाद में द्वितीय पक्ष कहा जाएगा, के मध्य लिखा जाकर अनुबन्ध किया जा रहा है।जो कि दिनांकः–................................से................................तक हेतु प्रभावी होगा।

यह कि प्रथम पक्ष को वाहन संचालन हेतु मानव संसाधन चालकों की आवश्यकता है, और द्वितीय पक्ष एक पंजीकृत प्लेसमेंट एजेन्सी है, जो राजस्थान सरकार की अनुज्ञा/मान्यता से कुशल चालक उपलब्ध कराती है। इस हेतु प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के मध्य निम्नानुसार नियम शर्तों पर यह अनुबन्ध तहरीर किया जाता हैः–

1. सर्विस अनुबन्ध पर लिये जाने वाले अनुमानित चालकों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित है।
2. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को अनुबन्ध पर उपलब्ध कराये जाने वाले चालकों को आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। उसके पास भारी वाहन संचालन करने का पांच वर्ष पुराना लाईसेन्स एवं बैज होना अनिवार्य है। साथ ही भारी वाहन चलाने का पांच वर्ष का अनुभव भी होना आवश्यक है।
3. पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति इस सर्विस अनुबन्ध को किसी अन्य दूसरे पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति को या व्यक्ति को न तो किराये पर ही देगा और न ही सबलेट/हस्तान्तरण करेगा।
4. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले चालक की आयु कम से कम 25 वर्ष एवं अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए।
5. द्वितीय पक्ष को कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के रूप में रू0 15000/– (रू0 पन्द्रह हजार मात्र) प्रति चालक डी.डी./बैंक गारण्टी अथवा एफ.डी.आर. के रूप में प्रथम पक्ष के नाम से बनी हुई हो, को संबंधित आगार कार्यालय में जमा कराना होगा।
6. द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित प्रत्येक चालक का सरकारी अस्पताल से नेत्र/स्वास्थ्य परीक्षण का चिकित्सकीय प्रमाण–पत्र एवं पांच वर्ष पुराने हैवी लाईसेन्स की प्रति तथा शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र की प्रति उसकी प्रथम उपस्थिति पर प्रथम पक्ष को प्रस्तुत करनी होगी।
7. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध करांये जाने वाले चालक का आचरण अच्छा एवं स्वास्थ्य सही होना आवश्यक है। इस हेतु द्वितीय पक्ष उपलब्ध कराये जाने वाले प्रत्येक चालक का Police Verification & Medical Fitness Certificate प्रमाण पत्र (01 माह से अधिक पुराना ना हो) प्रथम पक्ष के कार्यालय में भिजवायेगा.।
8. आगार में कार्य पर लेने से पूर्व आगार स्तरीय समिति द्वारा ट्रैड टैस्ट लिया जाकर ही बस संचालन हेतु चालक लगाये जावेंगे।
9. द्वितीय पक्ष के द्वारा निगम को उपलब्ध कराये जाने वाले चालक की प्रमाणित फोटो प्रथम पक्ष के कार्यालय को द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी ।
10. द्वितीय पक्ष के द्वारा निगम को उपलब्ध कराये गये चालकों के लिये ईपीएफ/ई0एस0आई0 स्कीम के अनुसार कर्मचारी अंशदान एवं सेवा प्राप्तकर्ता/नियोक्ता का अंशदान द्वितीय पक्ष के द्वारा ही जमा कराकर प्रमाण की प्रति निगम के कार्यालय में प्रस्तुत की जावेगी। (आगामी माह का भुगतान चालान की प्रति प्रस्तुत करने पर ही देय होगा) नियोजित चालकों के संबंध में ईपीएफ व ई.एस.आई. रिटर्न दाखिल करने का पूर्ण दायित्व सेवाप्रदाता/अनुबंधित फर्म का ही होगा। इन चालकों के ईपीएफ/ई.एस.आई. संबंधि समस्त हित/लाभ के संबंध में भी उत्तरदायित्व सेवाप्रदाता/अनुबंधित फर्म का ही होगा।

निर्धारित मासिक पारिश्रमिक राशि–

क.सं.	मद	राशि (रूपयों में)
1	पारिश्रमिक	15000/–
2	पीएफ, नियोक्ता का अंशदान (क.सं.1 की राशि पर)	नियमानुसार
3	ईएसआई (जहॉं ईएसआई लागू है), नियोक्ता का अंशदान (क.सं.1 की राशि पर)	नियमानुसार
4	सर्विस चार्ज (दर .....प्रतिशत क.सं.1 की राशि पर)	....
5	जीएसटी की राशि (दर 18 प्रतिशत क.सं.1 से 4 तक की राशि पर)	....
	योग	....

नोटः– जहां ईएसआई लागू नही है, वहां जी.एस.टी की राशि की गणना, उपरोक्त वर्णित ईएसआई की राशि कम करते हुये की जावेगी।

11 निगम को उपलब्ध कराये गये चालकों के लिये कर्मचारी भविष्य निधि कानून के अनुसार कर्मचारी अंशदान एवं सेवा प्राप्तकर्ता/नियोक्ता का अंशदान द्वितीय पक्ष के द्वारा ही भविष्य निधि कार्यालय में जमा कराकर प्रमाण की प्रति, प्रतिमाह निगम के कार्यालय में प्रस्तुत की जावेगी। (आगामी माह का भुगतान चालान की प्रति प्रस्तुत करने पर ही देय होगा)। पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति श्रम क़ानूनों की पालना तथा वैधानिक दायित्वों के निर्वहन के लिये उत्तरदायी होगी।

12 द्वितीय पक्ष के द्वारा निगम को उपलब्ध कराये गये चालकों के लिये ई0एस0आई0 स्कीम के अनुसार कर्मचारी अंशदान एवं सेवा प्राप्तकर्ता का अंशदान द्वितीय पक्ष के द्वारा ही ई.एस.आई. कार्यालय में जमा कराकर चालान की प्रति निगम के कार्यालय में प्रस्तुत की जावेगी। (आगामी माह का भुगतान चालान की प्रति प्रस्तुत करने पर ही देय होगा)

13 द्वितीय पक्ष को निगम द्वारा सर्विस चार्ज पर वस्तु एवं सेवाकरं (जी.एस.टी.) 18 प्रतिशत (समय–समय पर सरकार द्वारा जारी दरानुसार) देय होगा। द्वितीय पक्ष के द्वारा सर्विस चार्ज पर वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) नियमानुसार जमा करवाकर चालान की प्रति आगार के कार्यालय में प्रस्तुत की जावेगी। (आगामी माह का भुगतान चालान की प्रति प्रस्तुत करने पर ही देय होगा) द्वितीय पक्ष का सेवाकर के अन्तर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है। पंजियन प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

14 द्वितीय पक्ष द्वारा आयकर कटौती से मुक्त होने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा संस्था के देयक (बिल) से नियमानुसार भुगतान में स्त्रोत पर आयकर एवं अन्य वैधानिक कटौती की जावेगी।

15 द्वितीय पक्ष द्वारा चालकों के एजेन्सी चार्जेज का देयक प्रतिमाह 10 तारीख तक दो प्रतियों में प्रथम पक्ष के सम्बन्धित आगार कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। प्रथम पक्ष कार्यालय द्वारा बिल के प्रमाणीकरण पश्चात् भुगतान द्वितीय पक्ष को किया जायेगा तथा उपलब्ध कराये गए चालकों को प्रतिमाह का भुगतान द्वितीय पक्ष के द्वारा किया जायेगा।

16 यह अनुबन्ध एक वर्ष तक की अवधि के लिये होगा। एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् दोनों पक्षों के मध्य किसी प्रकार का विवाद/न्यायिक एवं अन्य बकाया नहीं होने की स्थिति में व संस्था की सेवाएं संतोषजनक होने पर दोनों पक्षों की सहमति से अनुबन्ध को आरटीपीपी नियमानुसार बढाया जा सकेगा।

17 किसी भी प्रकार के टैक्स/शुल्क/प्रभार को जमा कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा तथा किसी प्रकार की शास्ति/मुकदमा का दायित्व भी द्वितीय पक्ष का ही होगा।

18 द्वितीय पक्ष के द्वारा निगम को उपलब्ध कराये गये चालकों को निगम द्वारा निर्धारित वर्दी में ही वाहन संचालन करना होगा। वर्दी उपलब्धता का दायित्व निगम का नहीं होगा। चालकों को निगम द्वारा निर्धारित बस स्टैण्ड/यात्री स्टैण्डों पर वाहन को रोकना होगा।

19 द्वितीय पक्ष के द्वारा निगम को उपलब्ध कराये गये चालकों से उस आगार के किसी भी मार्ग पर वाहन संचालन कराया जा सकता है।

20 द्वितीय पक्ष के द्वारा निगम को उपलब्ध कराये गये चालकों के द्वारा बस का संचालन, निगम के अधिकारियों द्वारा दिये गए निर्देशों के अनुसार करना होगा।

21 द्वितीय पक्ष के द्वारा निगम को उपलब्ध कराये गये चालकों के अनुपस्थित होने के कारण वाहन संचालन निरस्त रहने पर, संबंधित संस्था से उस मार्ग की लक्ष्य की राशि तथा निगम द्वारा निर्धारित डीजल औसत लक्ष्य से अधिक डीजल खपत करने पर, अधिक खपत किये गये डीजल की राशि की हानि की पूर्ति द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को की जायेगी। इस संबंध में निगम के नियम/प्रावधानों की जानकारी बिड प्रस्तुत करने/अनुबंध से पूर्व कर ली गई है।

22 आगार के मुख्य प्रबन्धक द्वारा चालकों की मांग किये जाने के तीन दिवस में द्वितीय पक्ष को आवश्यकतानुसार चालक उपलब्ध कराने होंगे। चालक उपलब्ध नही कराने की स्थिति में द्वितीय पक्ष से 1000/—(अक्षरे एक हजार रूपये मात्र) प्रति चालक शास्ति वसूल की जावेगी।

23 पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिको की सहकारी समिति को प्रत्येक माह का देयक अगले माह की 10 तारीख को संबंधित आगार में प्रस्तुत करना होगा। फर्म को आगार द्वारा भुगतान किये जाने के 5 कार्य दिवस में चालकों को भुगतान करना होगा। फर्म द्वारा उक्त निर्धारित समय में चालको को भुगतान न करने की स्थिति में 1000/—रू(अक्षरे एक हजार रूप्ये मात्र) प्रति चालक प्रति दिन की दर से शास्ति वसूल की जावेगी।

24 द्वितीय पक्ष के द्वारा निगम को उपलब्ध कराये गये चालकों के द्वारा निगम के द्वारा निर्धारित मार्ग पर वाहन संचालन हेतु वाहन ले जाने के पश्चात् एवं कार्यशाला में वाहन जमा कराने तक वाहन की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष एवं चालकों की होगी तथा वाहन में इस दौरान होने वाली टूट—फूट व कोई सामान गायब होने की स्थिति में हानि की पूर्ति द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को की जायेगी।

25 द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले चालकों से वाहन दुर्घटना होने पर चालक के पुलिस के समक्ष उपस्थित नहीं होने के कारण वाहन को थाने से रिलीज कराने में देरी होने की वजह से निगम संचालन बाधित होने के कारण प्रथम पक्ष को होने वाली क्षति राशि द्वितीय पक्ष से वसूल करने का प्रथम पक्ष/आवंटित आगार को अधिकार होगा।

26 द्वितीय पक्ष के द्वारा निगम को उपलब्ध कराये गये चालकों के पास भारी वाहन संचालन का वैध लाईसेंस है, इसका प्रमाणीकरण सहित लाईसेंस की प्रति द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष को उपलब्ध करायेगा। द्वितीय पक्ष एवं चालक मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालक के पास वैध लाईसेंस होने तथा नवीनीकरण कराने के लिए जिम्मेदार होगा। लाईसेंस के आधार पर पुलिस चालान या परिवहन विभाग द्वारा वसूल की जाने वाली राशि की क्षति पूर्ति प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी।

27 द्वितीय पक्ष के द्वारा निगम को उपलब्ध कराये गये चालकों को अपना सद्व्यवहार निगम नियमों के अंतर्गत रखना होगा तथा अनुशासनहीनता बरतने, वाहन संचालन के दौरान शराब का सेवन करने, धूम्रपान करने, यात्रियों से अभद्र व्यवहार करने या उसका कार्य सन्तोषजनक नही होने पर उस माह के एजेन्सी चार्जेज का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा चालक द्वितीय पक्ष को लौटा दिया जावेगा तथा द्वितीय पक्ष द्वारा उसके एवज में दूसरा चालक उपलब्ध कराया जायेगा।

28 द्वितीय पक्ष के द्वारा निगम को उपलब्ध कराये गयें चालक ना तो कोई यूनियन बना सकते हैं तथा नाही किसी यूनियन में भाग ले सकते हैं। ऐसा करते पाये जाने पर प्रथम पक्ष को उसका अनुबन्ध तुरन्त समाप्त करने का अधिकार होगा।

29 द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराएं गये चालकों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के कोई वैधानिक दायित्व उत्पन्न होंगे तो उसकी बाध्यता पूर्णतया द्वितीय पक्ष पर होगी। चालक की सेवाएं देने के समय किसी चालक की असामायिक मृत्यु या दुर्घटना हो जाती हैं तो उसके सम्बन्ध में सम्पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी। कार्य सम्पादन अवधि के दौरान/सन्दर्भ में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ती/मुआवजा आदि के लिए ईपीएफ/सामूहिक दुर्घटना बीमा आदि की जिम्मेदारी सेवाप्रदाता संस्था/अनुबंधित फर्म की होगी। निगम का इस संबंध में कोई उत्तरदायित्व नही होगा।

30 प्रथम पक्ष को, द्वितीय पक्ष के द्वारा निगम को उपलब्ध कराये गये चालकों की संख्या में कमी/बढोतरी करने का अधिकार होगा, अर्थात् आवश्यकता नहीं होने पर चालकों को द्वितीय पक्ष को वापस भेजने एवं आवश्यकता होने पर चालकों की मांग करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

31 राजस्थान सरकार द्वारा द्वितीय पक्ष का अनुज्ञा पत्र रद्द किया जाता है या मान्यता पर रोक लगाई जाती है, तो सूचना मिलने पर तुरन्त अनुबन्ध समाप्त कर दिया जावेगा।

32 द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले चालक पूर्व में निगम सेवा से सेवापृथक, अनिवार्य सेवानिवृत अथवा किसी अन्य एजेन्सी के अनुबन्ध बतौर दुर्घटना या अन्य कारणों से निष्कासित किया हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा पाये जाने की स्थिति में तुरन्त अनुबन्ध समाप्त कर दिया जावेगा तथा सुरक्षा राशि को जब्त कर लिया जावेगा।

33 द्वितीय पक्ष द्वारा सेवा प्राप्तकर्ता प्रथम पक्ष को प्रदत्त सेवा पर, द्वितीय पक्ष का कोई स्वत्वाधिकार नहीं होगा।

34 द्वितीय पक्ष अनुबन्ध समाप्त करना चाहे तो उसे एक माह पूर्व प्रथम पक्ष को नोटिस देना होगा। नोटिस नहीं दिये जाने की स्थिति में कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।

35 द्वितीय पक्ष से किये जाने वाले अनुबंध को प्रथम पक्ष द्वारा 7 दिवस का नोटिस देकर कभी भी समाप्त किया जा सकेगा।

36 द्वितीय पक्ष की ओर से कोई सशर्त प्रस्ताव स्वीकार नहीं होगा। निगम द्वारा प्रस्तावित शर्तें द्वितीय पक्ष को मान्य होगी।

37 औधोगिक विवाद अधि. 1974 के प्रावधानों के अनुसार नियोजित चालको को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छटनी मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तदायित्व सेवाप्रदाता/अनुबंधित फर्म का ही होगा।

38 यह कि अनुबंध कियान्वयन शर्तो एवं विवेचना के सम्बन्ध में दोनो पक्षों के बीच किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो मामलें के निपटारे के लिये निम्नानुसार प्रावधान रहेगा:–

DISPUTE RESOLUTION & ARBITRATION:

- Dispute Resolution: Any dispute or difference whatsoever arising between the parties out of or relating to the construction, meaning, scope, operation or effect of this contract or the validity or the breach thereof, shall, in the first instance, be resolved by referring such dispute or difference to the Standing Committee constituted vide Rajasthan State Road Transport Corporation's office order No.

HO/Law/Gen/17/781 dated 03.10.2017. The Standing Committee so constituted shall ensure full compliance with the office order referred to above.

- Any dispute/objection regarding the conditions mentioned in all the teners/contracts/agreements issued by the corporation shall be filed in the competent court located in Jaipur.

39 RTPP Act. 2012 & Rules 2013 के प्रावधान यथावत् लागू होंगे।

40 समस्त बोली शर्तें उक्त अनुबन्ध पत्र का भाग होंगी।

41 किसी भी विवाद के लिए न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।

42 यह अनुबन्ध एक वर्ष तक की अवधि के लिये होगा।

उक्त समस्त शर्तें एवं हिदायतें मुझे/हमें स्वीकार हैं।

दिनांक–

पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की

सहकारी समिति प्रमुख के हस्ताक्षर

मय रबर मोहर एवं पता

संस्था का पंजीयन क्रमांक–

(द्वितीय पक्ष)

मुख्य प्रबन्धक,

रा0प0निगम......................आगार

(प्रथम पक्ष)

तकनीकी बोली आवेदन पत्र

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन),
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,
मुख्यालय, परिवहन मार्ग, जयपुर।

विषयः– अनुबन्ध पर चालक लेने हेतु बोली प्रस्ताव।

महोदय,

मैने/हमने बोली दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के बाद हम सभी आवश्यक सूचनाऐं एवं सम्बन्धित प्रपत्रों की लागत, फीस एवं बोली प्रतिभूति वाहन चालकों की सेवाएं अनुबन्ध पर उपलब्ध कराने हेतु तकनीकी बोली की अर्हता हेतु प्रस्तुत कर रहे है।

1. हम उक्त कार्य/सेवा/अनुबन्ध हेतु अपनी तकनीकी बोली प्रस्तुत कर रहे है। हम यह भी जानते है कि निगम के पास बिना कोई कारण बताये किसी भी आवेदन पत्र को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
2. संस्था सरकार से मान्यता प्राप्त है। मान्यता प्रमाण पत्र एवं अनुज्ञा प्रमाण पत्र की प्रतियां संलग्न है।
3. पी.एफ./ईएसआई/जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है।
4. पेन कार्ड की प्रति संलग्न है।
5. निम्न विवरणानुसार डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न हैः–

क्र. सं.	विवरण	राशि	डी.डी./बी.जी. कमांक एवं दिनांक	बैंक का नाम मय ब्रांच
1	बोली दस्तावेज लागत			
2	बोली प्रोसेसिंग फीस			
3	बोली प्रतिभूति राशि			

6. हम यह भी घोषित करते है कि हमारे द्वारा उक्त बोली दस्तावेजो के विवरण, नोट्स, शर्ते एवं अनुबन्ध पत्र के प्रारूप आदि सभी का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लिया है एवं इनकी पालना करने हेतु कृत संकल्प है। एवं इसकी स्वीकारोक्ति स्वरूप सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर समस्त प्रावधान/शर्तो की कर दिए है।

दिनांकः–

बोली लगाने वाले के अधिकृत हस्ताक्षर
मय मोहर

संलग्नः–1. लिफाफे पर तकनीकी बोली दस्तावेज एवं मान्यता/अनुज्ञा प्रमाण पत्र लिखा जावें। बोली दस्तावेज एवं मान्यता/अनुज्ञा प्रमाण पत्र एवं सेवाकर पंजीयन प्रमाण पत्र एव अन्य दस्तावेज की प्रति मय सम्बन्धित शर्ते, अनुबन्ध पत्र शिडयूल "ए" एवं एनेक्जर ए से सी प्रत्येक पेज पर बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर सहित। बोली दस्तावेज लागत एवं बोली प्रोसेसिंग फीस के डिमान्ड ड्राफ्ट इस लिफाफे में रखें।

RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION

PARIVAHAN MARG, CHOMU HOUSE,

तकनीकी बोली प्रपत्र

क्र.सं.	सम्बन्धित सूचना	विवरण	पृ.स.
1.	बोलीदाता का नाम व पता		
2.	बोली दाता का.ई मेल पता एवं फोन नं0 / मोबाईल नं0		
3.	बोली दाता का स्थानीय कार्यालय		
4.	बोली दस्तावेज शुल्क ..../– रूपये		
5.	बोली प्रोसेसिंग शुल्क ..../–रूपये		
6.	बोली प्रतिभूति राशि/बोली प्रतिभूति घोषणा पत्र ..../– रूपये		
7.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 में रजि0 न0		
8.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में रजि0 न0		
9.	वस्तु एवं सेवा कर (GST) नं0		
10.	आय कर (पैन नंबर)		
11.	श्रम विभाग का अनुज्ञा प्रमाण पत्र की प्रति		
12.	A. अनुभव प्रमाण पत्र (गत 3 वित्तीय वर्षो में किसी माह में) सरकारी/सहकारी/अर्द्धसरकारी/निगम/बोर्ड / संस्थाओ को न्यूनतम 100 मानव संसाधन (मैन पावर) उपलब्ध कराने के अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति B. उक्त के प्रमाण स्वरूप EPFO मे राशि जमा कराने का प्रमाण पत्र ECR की प्रति		
13.	न्यूनतम टर्नऑवर गत 3 वित्तीय वर्षो में औसत 1 करोड़ रूपये (चार्टेड अकाउन्टेंट द्वारा ऑडिटेड विवरण पत्र/बैंलेंस शीट)		

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

पूर्ण पता –